प्रेषक,

निदेशक,
पं0 दीनदयाल उपाध्याय
वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,
उत्तराखण्ड, सुद्धोवाला, देहरादून।

सेवा में,

सचिव (वित्त),
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः 295 /सी0टी0आर0एफ0ए0/प्रकाशन/2025–26 दिनांक 15 नवम्बर, 2025

विषय : उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वर्ष 2018 में अब तक हुए संशोधनों सहित पुस्तिका का डिजीटल प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संज्ञान में लाना है कि वर्ष 2018 में उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) प्रख्यापित की गई थी, इसमें समय–समय पर अनेक संशोधन किए गए हैं। प्रशासकीय विभागों, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर अद्यतन नियमों की उपलब्धता रहे, इस हेतु वर्तमान में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1 में अब तक हुए सभी संशोधनों (25.10.2025 तक अद्यतन) को शासनादेश संख्या एवं तिथि सहित संबंधित क्रमांक के अंत में **highlight** करते हुए एक साथ अंकित कर दिया गया है। इसका लाभ यह होगा कि जब कभी पूर्व संदर्भ की आवश्यकता हो तो किसी नियम में क्या व्यवस्था रही थी और वर्तमान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, यह सभी अद्यतन स्थिति सहित एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेंगे।

इसे अद्यतन किए जाने का कार्य श्री खजान चन्द्र पाण्डे, अपर सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन के साथ श्री बिक्रम सिंह जन्तवाल, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल, वित्त नियंत्रक, पीएमजीएसवाई एवं श्री नरेन्द्र सिंह, वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय द्वारा किया गया है। भविष्य में भी जब भी इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन शासन द्वारा किया जाएगा, उस अनुरूप इस पुस्तिका को भी संस्थान द्वारा तत्समय अद्यतन कर दिया जाएगा, ताकि जब भी विभागों द्वारा इस पुस्तिका/सूचना का उपयोग करें, उनके पास अद्यतन सूचना/नियम की जानकारी उपलब्ध हो सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संस्थान की वेबसाईट (**www.ctrfa.org**) पर उपलब्ध उक्त संकलन का उपयोग किए जा सकने के संबंध में प्रशासकीय विभागों को सूचना प्रसारित किए जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। इस संकलन का **QR** निम्नवत् है–

भवदीय,

15/11/2025
(जगत सिंह [illegible])
निदेशक।